मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

संख्या–डीजी–1– पीएआर–6–93/2016 दिनांकःजुलाई 11 ,2019

सेवा में,

1–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक, पी0ए0सी0
5–समस्त सहायक पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

विषयः– आई0पी0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2018–19 की पी0ए0आर0 (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 2.1.2019 व .5.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दि0 31.1.2019 तक SPARROW system में वार्षिक सम्पत्ति विवरण भरे जाने व निर्धारित समय सीमा में कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अंकित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अभी तक अनेकों अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति विवरण नहीं भरे गये हैं।

2– गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–17048/2018–आईपीएस एसीआर सेल दि02.7.2019 द्वारा हार्डकापी में कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रेषित न किये जाने व वर्ष 2018–19 की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट समय से पूर्ण कराने हेतु दिन प्रतिदिन अनुश्रवण किये के निर्देश दिये गये हैं।

3– लोकसभा निर्वाचन–2019 में अधिकारियों की चुनाव ड्युटी के दृष्टिगत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–14059/01/2019–एआईएस–III दिनांक 26.4.2019द्वारा समय सीमा में छूट प्रदान करते हुए अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों को 30 अप्रैल के स्थान पर 30 जून तक स्वमूल्यांकन भरने व प्रतिवेदक अधिकारियों द्वारा 31 जूलाई व समीक्षक अधिकारियों द्वारा 31 अगस्त एवं स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा 30 सितम्बर तक मन्तव्य अंकित करने की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

4– भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पी0ए0आर0 SPARROW system में जनरेट की जा चुकी हैं, अतएव अधिकारियों द्वारा अपनी स्वमूल्यांकन ऑन लाईन समय से भरी जानी है एवं निर्धारित की गयी समय सीमा के अन्तर्गत प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने हैं। यदि किसी अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन न भरी गयी हो तो तत्काल भर दें। समय सीमा का पालन न किये जाने की दशा में कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अगले स्तर पर Skip हो जाएगी।

5– अतः अनुरोध है, कृपया निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की वर्ष 2018–19 की प्रविष्टियॉ SPARROW system में अंकित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

11/7

(नीरा रावत)
अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ ।

17/7/19 17/7 17/7 17/07/2019 17-7-19 17/7/19 17-7-19 ADG(A) 17/7/19 17/7 17/7 17/7/19

By e-mail
CONFIDENTIAL

No. 17048/01/2018-IPS ACR Cell
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
भा.पु.से ए.सी.आर. प्रको"B / IPS ACR Cell
*****

North Block, New Delhi
Dated, the 2nd July, 2019.

To

1. The Principal Secretary (Home) of all State Governments & UT's
2. The Custodian of APAR (in SPARROW application for IPS officers) of ALL State Governments/DG'S of CAPF/CPO & other organizations/SVP NPA/NEPA

Subject : Implementation of SPARROW application for IPS officers –Reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that SPARROW application for writing of electronic Performance Appraisal Report (e-APAR) for the year 2015-16 and onwards by IPS officers has been developed based on the AIS (PAR) Rules, 2007. In sub-Rule 9.4 of the said Rules it has been prescribed that if a PAR relating to a financial year is not recorded by 31st of December of the year in which the financial year ended, no remarks shall be recorded thereafter.

2. It is to state that DoPT vide notification number G.S.R No.596 (E) dated 16.06.2017 has amended the AIS (PAR) Rules, 2007. The amended Rules have come into force with effect from 16.06.2017. The said amendments inter alia, provide:-

i) Mandatory filing of PAR electronically, in order to avoid delays and bring more transparency, with provision for exemption in certain cases.

ii) The Performance Appraisal Report, not recorded in terms of the provisions of these rules and instructions issued thereunder, to be treated as non-est:

3. It is observed that, State Government, CAPF, CPO and other organizations are still sending APAR in hard copies to this Ministry for migration in SPARROW Application despite the APAR for the year 2015-16, 2016-17 and 2017-18 in respect of many IPS officers have been closed automatically by software system on midnight of 31st December at different stages due to inaction at the part of some authority or other.

Contd. P.no..2/-

4. In view of the above, it is requested to monitor progress of each and every PAR for 2018-19 of IPS officers on day-to-day basis so that all PARs for this financial year could be completed by 31st December, positively. No APAR in hard copy will be accepted in this Ministry since onwards.

5. It is reiterated that, in case, any concerned officers face any inconvenience in SPARROW application, he/she may seek assistance in this Ministry at telephone number 011-2309 2913.

Yours faithfully,

(Anjan Sarkar)
Under Secretary to the Government of India
Phone No. 011 2309 4916